

वितीय दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम – गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए आयरन फोलिक एसिड

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष – IFA tablets for pregnant & lactating mothers

बजट क्रम संख्या / एफ०एफआर० कोड संख्या - Part-B, 16.2.1.b

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आयरन की कमी से कई दुष्परिणाम होते हैं। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को अनीमिया रोग से मुक्त करने के लिए आयरन की गोली वितरित की जाती है।

आयरन गोली की खुराक निम्न प्रकार से है –

क्रम सं०	लाभार्थी	खुराक
1	गर्भवती महिलाएं	100 गोली/वर्ष (गर्भ धारण के द्वितीय त्रैमासिक से)
2	धात्री माताएं	100 गोली/वर्ष

ईकाई राशि रु० में – IFA Tab (100 mg) Tab का मूल्य 0.10 रुपये प्रति पीस (राज्य स्तर पर Round Seven में निर्धारित दर)

वितीय दिशा-निर्देशन – यह राशि जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराई जानी है। राज्य स्तर से दवा का दर निर्धारित किया जाता है। संबंधित एजेंसी से संपर्क कर जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा आयरन की गोली लाभार्थियों के अनुसार गणना कर कर्य किया जायेगा। तत्पश्चात जिला स्वास्थ्य समिति का यह दायित्व होगा कि आयरन की गोली संसमय प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

क)

ख)

ग)

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी / सलाहकार का नाम – डॉ० एन० के० मिश्रा

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी / सलाहकार का फोन नं०— 9470003022